2012/00005

निर्णय ब–इजलास जगरूप सिंह यादव, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 13/2012 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये महेन्द्र सिंह, प्रवर्तन निरीक्षक, कोटपूतली, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

श्री मनीष पुत्र श्री सोहनलाल, निवासी खेडकी, तहसील कोटपूतली, सरग मार्केट, कोटपूतली।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 09 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–
1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 4-11-2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 15.02.2012 को जिला रसद अधिकारी ग्रामीण जयपुर के निर्देशानुसार मुखबिर की सूचना पर घरेलू गैस सिलण्डरों की कालाबाजारी की जांच हेतु बहमराह प्रवर्तन स्टाफ एवं तहसीलदार कोटपूतली के साथ सरण मार्केट कोटपूतली पहुचे। मौके पर फर्म के प्रोपराईटर श्री मनीष पुत्र श्री सोहनलाल निवासी खेडकी उपस्थित नहीं मिला। दुकान मालिक का भाई श्री राजेश को बुलाकर दुकान का ताला खुलवाया गया। श्री राजेश व रूबरू मोतांबरान जांच कार्यवाही प्रारम्भ की गई। मौके पर श्री राजेश द्वारा बताया गया कि यह दुकान श्री मनीष कुमार को किराये पर दे रखी है, तथा उसके द्वारा सिलेण्डर के अवैध भण्डारण व क्रय विक्रय का कार्य किया जाता है। जांच के दौरान मौके से 9 घरेलू गैस सिलेण्डर जिनमे से 3 आई.ओ.सी.एल., 4 एच.पी.सी.एल., 2. बी.पी.सी.एल. के थे, जिनमें से 5 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुये पाये गये जो 14.2 किलोग्राम के थे, इस प्रकार कुल 71 किलोग्राम एल.पी.जी. गैस पाई गई। इस प्रकार श्री मनीष द्वारा एल.पी.जी. (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन) आदेश, 2000, आर.पी.पी.एल. 1990 एवं विस्फोटक प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर उक्त 4 खाली व 5 भरे हुये घरेलू गैस सिलेण्डरों (3 आई.ओ.सी.एल., 4 एच.पी.सी.एल., 2. बी.पी.सी.एल.) को जब्त कर सुरक्षा की दृष्टि से इण्डेण गैस कोटपूतली के प्रतिनिधि को सुपुर्दगी में दिया। अतः जब्तशुदा 09 घरेलू गैस सिलेण्डर (3 आई.ओ.सी.एल., 4 एच.पी.सी.एल., 2. बी.पी.सी.एल.) मय एल.पी.जी. 71.00 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निरतारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

जिला कलक्टर
जयपुर

2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 17.02.2012

को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये।नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थी ने अपनी उपस्थिति जरिये वकालतन उपस्थित आये। प्रार्थी श्री रमेश चन्द, श्री अमित कुमार, श्री महेश कुमार, श्री बनवारी लाल, श्री सूरजमल, श्री महेश चन्द, श्री हरिराम, श्री विजय कुमार ने जरिये वकालतन मय प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 उपस्थित आये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस हेतु नियत पेशी पर अप्रार्थी एवं प्रार्थी आदेश 01 नियम 10 एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली वास्ते बहस पैराकार नियत की गई।

3. बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि निरीक्षण के दौरान दुकान की जांच करने पर 9 घरेलू गैस सिलेण्डर जिनमे से 3 आई. ओ.सी.एल., 4 एच.पी.सी.एल. 2. बी.पी.सी.एल. के थे, जिनमें से 5 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुये पाये गये जो 14.2 किलोग्राम के थे, इस प्रकार कुल 71 किलोग्राम एल.पी.जी. गैस पाई गई। अप्रार्थी द्वारा 09 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण कर एल.पी.जी. (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन) आदेश, 2000, आर.पी.पी.एल. 1990 एवं विस्फोटक प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। घरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती है जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा 09 घरेलू सिलेण्डरो भण्डारण कर वाणिज्यिक दुरूपयोग कर कालाबाजारी कर सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 09 घरेलू गैस सिलेण्डर 3 आई.ओ.सी.एल., 4 एच.पी.सी.एल., 2. बी.पी.सी.एल. मय एल.पी.जी. 71.00 किलोग्राम राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

5. हमने पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 15.02.2012 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

6. घरेलू गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाते है जिनका वाणिज्यिक उपयोग एवं अवैध भण्डारण किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद मौके पर दौराने निरीक्षण 9 घरेलू गैस सिलेण्डर जिनमे से 3 आई.ओ.सी.एल. 4 एच.पी.सी.एल., 2. बी.पी.सी. एल. के थे, जिनमें से 5 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुये पाये गये जो 14.2 किलोग्राम के थे, इस प्रकार कुल 71 किलोग्राम एल.पी.जी. गैस पाई गई। 09 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण कर एल.पी.जी. (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन) आदेश, 2000, आर.पी.पी.एल. 1990 एवं विस्फोटक प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। फलस्वरूप जब्त शुदा 09 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 71.00 किलोग्राम को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

जिला कलक्टर
जयपुर

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 09 घरेलू गैस सिलेण्डर 3 आई. ओ.सी.एल., 4 एच.पी.सी.एल., 2. बी.पी.सी.एल. मय एल.पी.जी. 71.00 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में

पारित किये जा चुके है। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 4-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर